

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०— एम०— 19/2024-25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

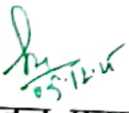
झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) —बनाम— सरफराज शेख, वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिकी काण्ड सं०— 26/2025 एवं चैनपुर थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 06/2025 दिनांक— 05.06.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. सरफराज शेख, पे० स्व० मजीद शेख, सा०— केराबार आँवराटोली 2. सद्दाम खान, पे० ईशा खान 3. इरफान खान, पे० मोबारक खान दोनों सा० जमगई 4. वकील खान, पे० वली खान 5. मुस्तलीक खान, पे० स्व० इब्राहीम मियां दोनो सा० आजाद बस्ती चैनपुर 6. इरफान खान, पे० खलील खान , सा० जमगई 7. रेखा कुजूर, पति संजय खेस, सा० गुनाटोली 8. रहमतुल्ला खान उर्फ टुलु, पे० लतीक खान, सा० जमगई 9. सजवा मियां, पे० मकसुद मियां, 10. साजीद मियां, पे० सजवा मियां दोनों सा० रहमतनगर 11. अजबुला खान, पे० स्व० बिगन मियां, सा० रहमत नगर बरवे, सभी थाना— चैनपुर, जिला— गुमला को ई—उल—जुहा (बकरीद) 2025 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्षकारो द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया परन्तु शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा— 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि द्वितीय पक्षकार लोक परिशांति व विधि—व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अतः इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।